-: आदेश :-   दि० 10-3-2017

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राज० भू० रा० अधिनियम 1956

प्रार्थी व अप्रार्थी पेरोकार सरकार केम्प कोर्ट, बेडा में पेश हुवे। दोनो पक्षो को सुना गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्षो को सुनने के पश्चात् प्रश्नगत प्रकरण में जाहिर है कि ग्राम बेडा के गत खसरा नंबर 779 में रकबा सवा तीन बीघा अन्य आवंटियो के साथ आवंटन होकर नामान्तरण सं० 121 दि० 17-4-83 के द्वारा प्रार्थी के नाम भरा गया। सेटलमेन्ट के बाद गत खसरा नं० 779 से बने हाल ख० नं० 27/2 रकबा 0-36 हेक्टर ही दर्ज किया गया है जबकि सवा 3 बीघा के तुल्य रकबा हेक्टर प्रणाली अनुसार रकबा 0-52 हेक्टर होता है। मौके पर कब्जा प्रार्थी का सवा तीन बीघा के तुल्य भूमि 0-52 हेक्टर पर है। मगर अधिकार अभिलेखो में रकबा 0-36 हेक्टर का खातेदार दर्ज किया। अप्रार्थी तहसीलदार बाली ने भी अपने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो का खंडन नही किया। अपने जवाब में गत ख० नं० 779 रकबा सवा तीन बीघा के नये खसरा नंबर 27 बने है, जिसमे बटा नंबर 27/2 रकबा 0-36 हेक्टर प्रार्थी के नाम दर्ज किये गये। तथा मूल खसरा नंबर 27 में सीलिंग आवंटन से शेष भूमि सरकारी है, जिसमे से प्रार्थी को 0-16 हेक्टर दी जा सकती है।

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

PTO

Scanned by CamScanner

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व सुनने पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भू.रा. अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। अतः मौजा बेडा के गत खसरा नंबर 775 रकबा सवा तीन बीघा से बने हाल खसरा नंबर 27/2 रकबा 0-36 हेक्टर की बजाय 0-52 हेक्टर दुरुस्ती के जरिये दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली व पटवारी हलका बेडा I. को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(गौरव अग्रवाल)
उप-खण्ड अधिकारी, बाली
I.A.S.

Scanned by CamScanner